कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ललितपुर

पत्रांक 2626 /वि0वि0ख0–द्वि0(ल0)/राजस्व दिनांक 23/06/23

विषय– प्राक्कलन की (निरुपण पत्र) टी0सी0 धनराशि जमा कराने के सम्बंध में। प्रोविजन टी0सी0

पी0टी0डब्लू0 पूर्णजमा योजना

श्री दयाराम पुत्र श्री पारीक्षत
ग्राम सडकौरा जिला ललितपुर। 168/2023–24
कार्य का विवरण– निजीनलकूप पूर्ण योजना में 08 एच0पी0 का विद्युत संयोजन देने का कार्य।

महोदय

कृपया उपरोक्त बिषयक आपके द्वारा दिये गये के अनुपालन उपखण्ड अधिकारी एंव अवर अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्राक्कलन/टी0एफ0आर0 के अनुसार टी0सी0 का विवरण निम्नवत् है।

01 लाइन चार्ज रू0 172699.00
02 जमानती धनराशि रू0 2400.00
कुल योग रू 175099.00

सर्विस केबिल उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार क्रय कर लें, सर्विस केबिल की धनराषि प्राक्कलन में नही ली गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त टी0सी0 की धनराषि तीन माह (90 दिन) के अवधि मे ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना सुनिश्चित करें–

4. इकाई पर स्थापित मषीनरी की घोषणा फार्म 'ए' तीन प्रतीयों में प्रस्तुत करें।
5. इकाई पर कार्य की पूर्णता एक परीक्षण फार्म बी" एण्ड "एल तीन प्रतियों प्रस्तुत करें।
6. अपने परिसर पर... के0वी0ए0आर0 का शट कैपीसिटर स्थापित करवा कर एवं टैस्ट अपने अनुज्ञाकारी ठेकेदार (विद्युत ठेकेदार) के उसका पूर्ण बी0एण्ड0एल0 फार्म में आवश्यक रूप से अंकित कराये तथा उसके कैश– मीमो की छायाप्रति जमा करायें।
7. 100 रू0 के नॉन जुडीषियल स्टाम्प लेकर अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी भी दिन कार्य दिवस में दों गवाहों के साथ उपस्थित हो।
8. स्टेट बैंक या ट्रेजरी में 045 विद्युत कर भारतीय नियमावली के अन्तर्गत फीस मद में नियमानुसार जमा करें एवं चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9. इकाई को चलाने हेतु सम्बधित शासन/जिला परिषद, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया या केन्टोमेन्ट का लाइसेन्स प्रस्तुत करें।
10. इस आशय का लिखित पत्र प्रस्तुत करें कि जिस मकान में इकाई स्थापित की जा रही है वह मकान आपका अपना निजी है किरायदार की स्थितिमें मकान मालिक की स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा मकान के हाउस टैक्स की रसीद की छायाप्रति भी जमा करें।
11. दो सत्यापित फोटो जमा करें।
20. यदि आपकी संख्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड कमपनी है तो अर्टिकल्स एवं मैमोरेन्डम ऑफ एसोशिऐशन की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करानी होगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पूर्व वैधानिक पावर ऑफ एटोनी भी जमा करानी होगी।पार्टनरशिप डील की पंजीकृत छायाप्रति प्रेषित करें।

नोट–11 KV लाईन व 25 KV। परिवर्तक स्थापित करते समय किसी भी प्रकार की आपत्ति/व्यवधान का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा।, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा जमा की गई निरुपण पत्र (टी0सी0) की धनराशि न तो बिल मे समायोजित की जायेगी, और न ही वापिस की जायेगी।
जब तक सामग्री निर्गत नही होगी जबतक स्टीमेंट ईआरपी (ऑनलाइंन प्रकिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा। पैसा जमा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेट आनॅलाइन प्रकिया से बना है या नहीं अगर नहीं तो पैसा जमा न करें।
उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नही होने पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही नही की जायगी। इस पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर यदि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नही होने पर बिना किसी अन्य नोटिस के आपकी विद्युत भार स्वीकृति रद्द की जायगी। जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner